

वृद्धावस्था/विधवा/अपाहिज पेन्शन हेतु आवेदन-पत्र

जिला :
तहसील :
ग्राम/कस्बा/थाना/पुलिस स्टेशन :

1. आवेदक का नाम :
2. पुरुष या स्त्री :
3. पिता या पति का नाम :
4. पूरा पता:
.....
5. आयु (आवेदन-पत्र देने की तारीख का आयु) :
(बतलाई गयी आयु के लिए प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है या नहीं किया गया है)
6. पहचान चिन्ह :
7. आवेदन के सम्बन्धियों का विस्तृत विवरण एवं उनकी आयु :-
(क) पुत्र नाम आयु
(ख) पौत्र नाम आयु
(ग) पत्नी/पति नाम आयु

टिप्पणी :- (क) केवल सम्बन्धित मदों को ही भरा जाएगा तथा उनकी आयु का उल्लेख किया जाएगा। जो मद सम्बन्धित न हों उसे काट दें।

(ख) पुत्र में दत्तक पुत्र सम्मिलित है लेकिन सौतेला पुत्र सम्मिलित नहीं है।

8. क्या सम्बन्धी/सम्बन्धियों की कोई आय है या क्या उनके पास आय का कोई साधन है
9. क्या इनका कोई सम्बन्धी लगातार लापता है। यदि ऐसा हो तो, विस्तृत विवरण (जैसे नाम, उम्र, तारीख जिससे वह लापता है)
10. क्या आपके सम्बन्धियों में से कोई सम्बन्धी जीविका कमाने में पूर्व रूपेण सक्षम है।
11. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि :-
(क) (1) मेरे पास किसी भी स्रोत से कोई आय नहीं होती है या मेरे पास निर्वाह हेतु आय नहीं है।
(2) मैं पेन्शन भुगतान आदेश संख्या दिनांक के द्वारा (सरकार विभाग/निजी/निकाय/संस्था किसी अन्य स्रोत का नाम का उल्लेख कीजिए) से रुपये प्रतिमाह पेन्शन/निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ/प्राप्त नहीं कर रहा हूँ।

(ख) मैंने पूर्व में वृद्धावस्था पेन्शन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है/नहीं किया है। (यदि आवेदन पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया है तो यह भी उल्लेख कीजिए कि क्या वह विचाराधीन है या उसे रद्द कर दिया गया है)।

(ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गत वर्षों से स्थायी रूप से रह रहा हूँ।

(घ) मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी है, सही हैं।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

दायें या बायें हाथ
के अंगूठे का निशान

12. प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र संसद/विधानसभा/नगर परिषद्/नगरपालिका/निगम के सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/जिला परिषद् के प्रमुख या राज्य या केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जावेगा।)

मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी

को गत वर्षों से जानता हूँ। उसके पहिचान चिन्ह नीचे दिये गये हैं :-

1.

2.

वह स्वस्थ चित्त/विक्षिप्त है।

जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस आवेदन में दिये गये विवरण सही हैं।

दिनांक

प्रमाण पत्र देने वाले के हस्ताक्षर

पद एवं पूरा पता

टिप्पणी :-

1. यदि निराश्रित व्यक्ति विक्षिप्त होने के कारण हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने में अक्षम है, तो आवेदन पत्र पर ऐसे संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जो पेन्शन की राशि से उस निराश्रित की संभाल करने का वचन देता है।
2. आवेदन के स्वीकृति अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी करने पर फोटोग्राफ की पासपोर्ट साईज की दो प्रतियां सांसद, विधायक, पंचायत समिति के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख, राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा उचित रूप से अनुप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करनी होगी।